Office of Commissioner of Police, Faridabad
Sector 21-C, Faridabad
Telephone No. 0129-2438000, 2438555

भर्ती सूचना

फरीदाबाद पुलिस में 110 (SPO) विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए 27 अप्रैल 2026 तक आवेदन करने बारे सेना एवं अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत कर्मचारी, HISF बटालियन के हटाए गए कर्मचारी तथा 2004 में हरियाणा सशस्त्र बल के हटाए गए कर्मचारी को फरीदाबाद पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के तौर पर भर्ती किया जाएगा। इच्छुक आवेदक दिनांक 27 अप्रैल 2026 तक व्यक्तिगत रुप में जिला निरीक्षक कार्यलय सेक्टर 21-C फरीदाबाद में उपस्थित होकर संबंधित आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क करें।

चयनित उम्मीदवार को 20,000/-रू० प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।

चयनित उम्मीदवार के वेतन से ड्युटी के दौरान हरियाणा राज्य परिवहन में हरियाणा राज्य में निःशुल्क यात्रा करने के संबंध में 120 रु प्रति माह काटा जाएगा।

भारतीय सेना की सिगनल कोर से सेवा निवृत व तकनीकी उपकरणो का ज्ञान रखने वाले जवानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

भर्ती के योग्य आवेदक अपने साथ पास-पोर्ट साईज के 4 फोटो, शिक्षा, सेवानिवृत से संबंधित सर्टिफिकेट, मूल रिहायशी प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति के समय प्रदान किया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इत्यादि के मूल दस्तावेजों सहित व्यक्तिगत रुप से जिला निरीक्षक कार्यलय सेक्टर 21-C फरीदाबाद से सपंर्क करें।

चयन हेतू निम्नलिखित सेवा शर्तें लागू होगी-

सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए आवश्यक है उनकी आयु 25 से 50 साल तक होनी चाहिए और उन्हें अनुशासनहीनता या मैडीकल के आधार पर न हटाया गया हो और सेवा से निवृति के समय चिक्तसा 'ए' श्रेणी (SHAPE1) का होना चाहिए व चरित्र प्रमाण पत्र अनुकरणीय/प्रकृष्ट होना चाहिए।

विशेष पुलिस अधिकारी (SPO)) को एक वर्ष की अवधि के लिए 20,000/- रुपये के मासिक मानदेय पर रखे जायेगे। इस राशि को नकद न देकर उनके बैंक खाते में जमा किया जायेगा।

विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) में भर्ती होने के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वी पास या सेना एंव अर्धसैनिक बल से दिया गया ग्रेजुएशन साट्रिफिकेट होना अनिवार्य है।

विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को उनके गृह पुलिस थाना में तैनात नहीं किया जायेगा, यह ध्यान से रखा जायेगा कि उनकी तैनाती उनके निवास स्थान के नजदीकी पुलिस थानों में हो।

विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को भर्ती के समय दो जोड़ा वर्दी, एक जोड़ा जूते और अन्य आवशयक बर्दी से संबंधित वस्तुओं के लिए 3000 रुपये केवल एक बार दिए जाएगा।

विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को सरकारी दौरे पर 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से T.A./D.A. दिया जायेगा।

आकस्मिक अवकाश, हरियाणा पुलिस के सिपाही के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

ड्युटी के दौरान मत्यु होने पर 10 लाख रुपए, स्थाई विकलांगता पर 1 से 3 लाख रुपये तक तथा गभीर चोट पर 1 लाख रुपये तक अनुग्रह राशी मुआवजे के तौर पर दिए जाएगे। यदि प्राकृतिक मृत्यु है तो 3 लाख रुपये मुआवजा दिया जायेगा।

यदि विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है तो पुलिस सैलरी पैकेज के अनुसार 50 लाख रुपये दुर्घटना मृत्यु क्लेम का प्रावधान है, जिसमें से विधवा को 40 लाख, मां को 5 लाख व पिता को 5 लाख रुपये मिलेगे।

विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) का भर्ती के समय कोई लिखित परीक्षा तथा शारीरिक मापतोल नही होगा।

राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछडे वर्ग उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाऐगा।

इन विशेष पुलिस आधिकारियों (SPO) को आपातकालीन स्थिति में थोडे समय के लिए हरियाणा राज्य के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकता है।

चयनित विशेष पुलिस अधिकारियों को 15 दिन के लिए पुलिस ड्यूटियों के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इनको कानून व्यवस्था, गार्द डयूटी, पैट्रोलिंग, यातायात और पुलिस से संबंधित अन्य ड्यूटियों पर तैनात किया जा सके।

चयन के लिए साक्षात्कार में आने के लिए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता (T.A/D.A) नही दिया जाएगा।

No. 44625/HR